

2025/ACII/20/12/e-3493745

RBA No. 22 / 2025
New Delhi, Dated: 02.07.2025

The General Managers and FA & CAOs,
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Modification in Appendix IV of Indian Railway Establishment
Manual, Volume-I (Revised Edition 1989).

Advance Correction Slip No.293 regarding changes in the Appendix IV
of Indian Railway Establishment Manual, Volume-I (Revised Edition 1989) is
enclosed herewith.

Kindly acknowledge the receipt.

DA: As above

Digitally signed by
Rajat Agarwal
Date: 02-07-2025
14:19:50

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No.011- 23047018
Email id :
rajat.agarwal91@gov.in

22025/ACII/20/12/e-3493745

New Delhi, Dated: 02.07.2025

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi. (35 spares)
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-C, Rail Bhavan, New Delhi. (35 spares)
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshan Road, New Delhi. (60 spares)
4. The Secretary General, FROA, Railway Board.(5 spares)
5. The Secretary General, IRPOA, Rail Bhawan New Delhi. (5 spares)
6. The Secretary General, All India RPF Association, Rail Bhawan New

Delhi.(5 spares).

7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The Secretary, Railway Board Promottee Officers, Rail Bhawan, New Delhi.
12. The Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
13. The General Secretary, All India SC/ST/OBC Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi

Digitally signed by
Sadhna Aggarwal
Date: 02-07-2025
14:36:44
For Principal Executive Director (IR)/Railway Board

Copy to:

1. Dy. C&AG (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.
2. GM/Const/NFR, CAO/CE(Const.)/All Indian Railways.
3. AC-I(Comp), AC-III(10 copies), AC-IV, Code Revision Cell (3 copies),
Accounts Insp. Accounts Appropriation, E(NG)I, E(SCT)I & E(LR) branches
of Railway Board.

Advance correction Slip No. 293

**INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, Vol. I (Revised Edition,
1989)**

Appendix 4

Para 4 & Para 5 may please be modified as under:

Para 4: A single paper (MCQ based) shall be held of 100 marks with minimum requirement of 40% for passing and with dispensing the viva-voice for Appendix IV.

Para 5: The examination shall be conducted in CBT mode by the zonal railway in coordination with RRB.

(Authority: Rly. Board's letter no.2025/ACII/20/12/e 3493745 dated
02.07.2025)

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
2025
सहकारी समितियाँ एक बेहतर
दुनिया का निर्माण करती हैं

2025/एसी॥/20/12/ई-3493745

आरबीए सं. 22/2025

नई दिल्ली, दिनांक 02.07.2025

महाप्रबंधक तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1 (संशोधित संस्करण 1989) के परिशिष्ट-IV में आशोधन।

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1 (संशोधित संस्करण 1989), के परिशिष्ट IV में परिवर्तनों से
संबंधित अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 293 इसके साथ संलग्न है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त

ह.

(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

फोन नं.: 011-23047018

ईमेल आईडी: rajat.agarwal91@gov.in

2025/एसी॥/20/12/ई-3493745

दिनांक 02.07.2025

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-सी, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, रेलवे बोर्ड (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली, (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप "डी" इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी/ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

५

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक(औ.सं.)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें) कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महाप्रबंधक/निर्माण/पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मुख्य लेखा अधिकारी/सीई(निर्माण)/सभी भारतीय रेलें।
3. रेलवे बोर्ड की लेखा-I (संकलन), लेखा-III (10 प्रतियां), लेखा-IV, संहिता संशोधन कक्ष (3 प्रतियां), लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, ई(एनजी), ई(एससीटी) एवं ई(एलआर) शाखाएं।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 293

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I (संशोधित संस्करण 1989)

परिशिष्ट 4

पैरा 4 एवं पैरा 5 को कृपया निम्नानुसार आशोधित किया जाए:

पैरा 4: परिशिष्ट IV के लिए एकल प्रश्न-पत्र (बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित) 100 अंकों का होगा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक अपेक्षित होंगे और मौखिक परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

पैरा 5: परीक्षा रेलवे भर्ती बोर्ड के समन्वय से क्षेत्रीय रेलवे द्वारा सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 02.07.2025 का पत्र सं. 2025/एसी॥/20/12/ई-3493745)